

Subject: Appointment of Chief Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

1. The Government of Haryana has constituted a body under the Haryana Right to Service Act, 2014, known as the Haryana Right to Service Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. It is located in Chandigarh. The Commission has a Chief Commissioner and upto four Commissioners. The powers and functions of the Chief Commissioner and Commissioners are as per section 14 of the Act. The Haryana Right to Service Act, 2014 is available on the website "<http://csharyana.gov.in>".

2. It is proposed to appoint Chief Commissioner after retirement of the incumbent Sh. S.C Chaudhary, IAS (Retd.) on 5.4.2019. The Act provides that the Chief Commissioner shall be a serving or retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Haryana or Secretary to Govt. of India.

3. The Chief Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and shall not be entitled for re-appointment. The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service applicable to the Chief Commissioner shall be the same as the State Chief Information Commissioner as laid down in sub section(5) of the Section 16 of the Right to Information Act, 2005.

4. The Government have constituted a Search Committee to search for and recommend suitable candidates to the Statutory Committee, constituted under section (1) of section 13 of the Haryana Right to Service Act, 2014 for appointment of Chief Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

5. Persons fulfilling the criteria for appointment as Chief Commissioner and interested for appointment to the post, may send their particulars in the proforma appended to these instructions to the office of Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 303, 3rd floor, Haryana New Secretariat, Sector-17, Chandigarh within 30 days from the issue of these instructions. While applying for the post of Chief Commissioner, the applicant must indicate:

- 1) Whether any criminal case has been registered against him/her?
If yes, details thereof.
- 2) Whether the applicant has been charge sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
- 3) Whether the applicant has been convicted by any competent court for any criminal offence? If yes, details thereof.

Persons who are serving under the State/Central Government may send their particulars through proper channel.

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Administrative Reforms Department.

**Proforma for sending application for the post of Chief Commissioner in the Haryana
Right to Service Commission.**

Please affix
the latest
passport size
photograph

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:
4. Contact No.
 - a) Telephone (along with STD code)
 - b) Mobile
 - c) Fax
5. E-mail Address:
6. Educational Qualifications:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge-sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence?
If yes, details thereof.
12. Achievements/Work Experience
(in brief):

Date:

Signatures:

Place:

दिनांक चण्डीगढ़, 30 जनवरी, 2019

विषय:- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति बारे ।

1. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गये कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया है। यह आयोग चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्त तक शामिल होंगे। मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम के धारा 14 के अनुसार होंगे। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 वेबसाइट '<http://csharyana.gov.in>' पर उपलब्ध है।

2. श्री एस0 सी0 चौधरी, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) मुख्य आयुक्त की सेवानिवृत्ति दिनांक 05.04.2019 के उपरान्त आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार आयोग में मुख्य आयुक्त हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव की पदवी तथा हैसियत में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

3. मुख्य आयुक्त जिस तारीख से इस पद के लिए वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है, वह पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिये हकदार नहीं होगा। मुख्य आयुक्त को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा 5 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिये अधिकथित है।

4. हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए, योग्य उम्मीदवार की खोज और उसकी सिफारिस, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अधिन गठित वैधानिक समिति, को करने के लिए सरकार द्वारा एक खोज समिति का गठन किया है।

5. मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एंवम् नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्ति इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के कार्यालय कमरा नं0 303, तीसरी मंजिल, हरियाणा नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को इन हिदायतों के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर भेजेंगे। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी मुख्य आयुक्त के पद के लिए आवेदन करते समय दर्शायेगा कि :

1. क्या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत है?
यदि हां, उसका ब्यौरा।
2. क्या आवेदक किसी आपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किया गया है ?
यदि हां, उसका ब्यौरा।
3. क्या आवेदक को किसी अपराधिक अपराध के किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है? यदि हां, उसका ब्यौरा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनतम पासपोर्ट

आकार का फोटो

चिपकायें

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. वर्तमान पता
4. सम्पर्क नं०
 - क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित)
 - ख) मोबाईल:
 - ग) फैक्स
5. ई-मेल पता:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्र:
8. वर्तमान व्यवसाय:
9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है?
यदि हों, तो उसका विवरण ।
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं?
यदि हों, तो उसका विवरण ।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये हैं? यदि हों, तो उसका विवरण ।
12. उपलब्धियां/काम करने का अनुभव :
(संक्षेप में)

दिनांक:

हस्ताक्षर

स्थान: